

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

नजीरुदौला

श्री नारायण लाल

बनाम

श्री श्यामलाल

किस्म मुकदमा

53 R.T-Act

नं.

397-18

मन

82/2018

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>01/01/18</p>	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपकेंद्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट पीओडी पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि श्री नारायण लाल आगे मेरा रावत ल श्यामलाल रावत श्री श्यामलाल आगे मेरा रावत पीओडी द्वारा आपका वरवादा पत्र, दिनांक 02/01/18</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पीओडी - 1 नारायण, रावत लाल आगे मेरा रावत पीओडी 397/नं. 0.24</p> <p>2 श्यामलाल, मेरा रावत आगे मेरा रावत पीओडी 397/नं. 0.23</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार वडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(विदेन्द्र कुमार पाण्डे) PAS राजस्व लोक अदालत पदन सहाय वडीसादड़ी (राज.)</p>	

